रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-12072022-237262
CG-HR-E-12072022-237262

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498]	नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 12, 2022/आषाढ़ 21, 1944
No. 498]	NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 2022/ASHADHA 21, 1944

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 538(अ).—बादाम (गिरी) श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2022 का प्रारूप, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम 1937 (1937 का 1) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना सं.सा.का.नि. 217(अ) के तहत दिनांक 22 मार्च, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3 उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके इस अधिसूचना से प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिस तारीख को भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध कराए जाने के पैंतालीस दिनों के भीतर आपेक्ष आमंत्रित किए गए थे।

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 22 मार्च, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं, और, उक्त प्रारूप नियमौँ के संबंध मैँ हितधारकों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विधिवत रूप से विचार किया गया है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात.-

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ-.

(1) इन नियमों का नाम बादाम (गिरी) श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम 2022 है।

(2) ये नियम मानव खपत के प्रयोजनार्थ *प्रूनुस एमिग्डलास बट्स्च सिन प्रूनुस डुल्किस (मिल.)डी.ए. वैब* से प्राप्त बादाम (गिरी) पर लागू होंगे ।

(3) ये सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.-** (1) इन नियमो में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो.-

(क)''कृषि विपणन सलाहकार'' से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ख)''प्राधिकृत पैकर'' से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों एवं साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के अधीन विहित श्रेणी मानकों और विहित प्रक्रिया के अनुसार बादाम (गिरी) का श्रेणीकरण करने और उसे चिह्नांकित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया हो;

(ग) ''प्राधिकार प्रमाण पत्र'' से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी प्रमाण पत्र अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा बादाम (गिरी) के श्रेणीकरण और चिह्नांकन का प्राधिकार देता है;

(घ) "साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है;

(ङ)"श्रेणी अभिधान चिह्न'' से नियम 3 में निर्दिष्ट "एगमार्क प्रतीक" अभिप्रेत है;

(च) "विधिक माप विज्ञान" (पैक की गई वस्तुएं) नियम'' से विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) के अंतर्गत बनाए गए विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएं) नियम, 2011 अभिप्रेत है एवं;

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) तथा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम एवं नियम में हैं;

3. **श्रेणी अभिधान चिह्न.-** श्रेणी अभिधान चिह्न में प्राधिकरण प्रमाण पत्र संख्यांक, "एगमार्क" शब्द, वस्तु का नाम और अनुसूची-I में यथारूप से दिए गए सदृश्य श्रेणी अभिधान को सम्मिलित करने वाले डिजायन से मिलकर बना "एगमार्क प्रतीक" होगा।

4. **श्रेणी अभिधान.-** बादाम (गिरी) की गुणवत्ता उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान वह होगा जो अनुसूची-II के श्रेणी अभिधान हेतु निर्धारित किया गया है।

5. **गुणवत्ता.-** इन नियमों के प्रयोजन के लिए बादाम (गिरी) की गुणवत्ता अनुसूची-II में निर्दिष्ट के अनुसार होगी ।

6. **पैकिंग करने की विधि.-**(1) बादाम (गिरी) की पैकिंग नए, स्वच्छ कागज के थैलों या कपड़े के थैलों या सूखे जूट के थैलों या पॉलीवोवन थैलों जिनकी आंतरिक लाइनिंग फूड ग्रेड सामग्री की होगी या नई कांच के जार या बायोडिग्रेडेब्ल पैकेजिंग सामग्री अथवा फूड् ग्रेड के पॉलीपैकों या अन्य ऐसी किसी पैकिंग सामग्री में की जाएगी जो साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अंतर्गत कृषि विपणन सलाहकार या उनकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो;

(2) पैकेजिंग सामग्री कीट और फफूंदी के प्रभाव से मुक्त होगी और इससे उत्पाद में किसी विषाक्त पदार्थ, अवांछित गंध अथवा स्वाद का असर नहीं आना चाहिए;

(3) बादाम (गिरी) की पैकिंग विधिक माप विज्ञान (पैक की गईं वस्तुएं) नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार पैक आकारों में अथवा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अंतर्गत कृषि विपणन सलाहकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार की जाएगी;

(4) समान लॉट/ बैच और ग्रेड के छोटे पैक आकारों की श्रेणीकृत सामग्री की पैकिंग एक मास्टर कंटेनर में की जाएगी और उस पर श्रेणी अभिधान चिह्न सहित पूरा ब्यौरा अंकित किया जाएगा;

(5) प्रत्येक पैकेज में समान प्रकार का और समान श्रेणी अभिधान का बादाम (गिरी) होगा;

(6) प्रत्येक पैकेज उचित और सुरक्षित रूप से बंद और मुहरबंद किया जाएगा, ताकि उसकी सामग्री बाहर न फैल सके;

7. **चिह्नांकन की विधि.-**(1) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक पैकेज पर कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार सुरक्षित रूप से चिपकाया या मुद्रित किया जायेगा;

(2) श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त, प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से और अमिट रूप से अंकित किया जाएगा:-

(क) वस्तु का नाम;

(ख) श्रेणी;

(ग) किस्म या ट्रेड नाम(वैकल्पिक);

(घ) लॉट/बैच संख्या;

(च) पैकिंग की तारीख;

(छ) फसल वर्ष (वैकल्पिक);

(ज) शुद्ध भार;

(झ) प्राधिकृत पैकर का नाम और पता;

(ङ) अधिकतम खुदरा मूल्य; (सभी कर सहित)

(त) ....माह....वर्ष के पूर्व उपयोग हेतु सर्वोत्तम; और

(द) विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएं) नियम, 2011 एवं खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 और खाद्य सुरक्षा और मानक (लैबेलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020 अथवा किसी समय लागू कोई अन्य कानून अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किए किन्हीं अनुदेशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कोई अन्य विवरण बशर्ते पैकेजों पर चिह्नांकन के लिए प्रयोग की गई स्याही से बादाम (गिरी) को संदूषित न करें।

(3) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार अथवा इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियमावली, 1988 के नियम 11 के अंतर्गत श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड चिह्नांकित करेगा, परंतु वह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित गुणवत्ता से भिन्न गुणवत्ता उपदर्शित नहीं करेगा।

8. **प्राधिकार प्रमाण पत्र की विशेष शर्तें.-**(1)साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम 1988, के नियम 3 के उपनियम- (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक प्राधिकृत पैकर इस नियम के तहत निर्दिष्ट शर्तों का पालन करेगा;

(2) बादाम (गिरी) की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत पैकर साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियमावली, 1988 के नियम 8 के तहत जारी मापदंडों के अनुसार या तो अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या किसी अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या सहकारी अथवा एसोसिएशन प्रयोगशाला या ऐसी प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला के साथ संपर्क करेगा जिसका प्रबंधन साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम 1988 के नियम 9 के अंतर्गत कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित योग्य रसायनज्ञ द्वारा किया जा रहा हो;

(3) प्राधिकृत पैकर के परिसरों को समुचित संवातन और प्रकाश सहित स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छता की दशाओं में रखा जाएगा। इन कार्यों में लगे हुए कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे।

(4)प्राधिकृत पैकर के परिसरों में पक्के फर्श सहित पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी और वह नमी, किसी तरह की दरारों, कृंतकों और कीटों के उत्पीड़न से मुक्त होगा।

(5) प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ, परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, सीलिंग और अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित ऐसे सभी अनुदेशों का पालन करेगा जिसे साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के

अंतर्गत कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए हो ।

अनुसूची-I

(नियम 3 देखें)

(एगमार्क प्रतीक का डिजाइन)

वस्तु का नाम...

श्रेणी...

अनुसूची –II

(नियम 4 और 5 देखें)

बादाम (गिरी) का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता

1. बादाम (गिरी) पृनुस एमिग्डलास बट्स्च सिन पृनुस डुल्किस (मिल.)डी.ए. वैब किस्मों की विशेषताओं के अनुरूप शुष्क, ठोस, परिपक्व साफ फलों से प्राप्त किया जाएगा।

2. **न्यूनतम अपेक्षाएँ –** बादाम (गिरी) में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी :

(क) साबुत, ठोस, पर्याप्त रूप से सुखाया एवं अच्छी तरह से साफ किया हुआ होगा;

(ख) इसका रंग एक सामान होगा और पूरी तरह से परिपक्व अवस्था में होगा;

(घ) रूचिकर स्वाद और जायका बादाम (गिरी) की किस्म की विशेषता होगी;

(ङ) फफूंद एवं कृंतक संदूषण से मुक्त होगा;

(च) विजातीय पदार्थ, कण, धूल, मिट्टी, पौधे के बाह्य टुकड़े, जीवित, मृत कीटों, कीटों के टुकडों, कीटों के अंडे, माइट्स, कृतंक संदुषण से मुक्त होगा;

(छ) किसी भी तरह के योजित रंजक पदार्थ से मुक्त होगा;

(ज) किसी विजातीय गंध, खमीरीकरण और फफूंदी से मुक्त होगा;

(ii) घरेलू व्यापार के मामले में यह धातु संदूषण, कीटनाशी जीवों और नाशक जीवमारों, संदूषण सूक्ष्म अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले विषैले पदार्थों के अवशिष्ट स्तर के संबंध में निर्बंधनों और खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, जीव-विष और अपशिष्ट) विनियम 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य मिश्रण) विनियम, 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के तहत बनाए घरेलू व्यापार हेतु अधिसूचित अन्य विनियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

(iii) निर्यात के मामले में यह भारी धातुओं, कीटनाशक जीवों की अपशिष्ट सीमाओं और कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा अधिकथित अन्य खाद्य सुरक्षा मापदंडों अथवा निर्यात व्यापार के लिए या आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

3. बादाम (गिरी) के श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड :

तालिका

श्रेणी अभिधान	सहनीयता की अधिकतम सीमा (वजन द्वारा प्रतिशत)											वजन के अनुसार तेल की मात्रा का प्रतिशत ओडीबी (न्यूनतम)
	नमी	खोल सहित बादाम, खोल या छिलके के टुकड़े	बासी, सड़ा हुआ और कीड़ों या अन्य कीटों से क्षतिग्रस्त	चिपचिपा और भूरा धब्बा	धब्बेदार और रंगहीन गिरी	सिकुड़ी या मुरझाई असमान गिरी	विभाजित व खंडित गिरी	चटके हुए और खुदरी गिरी	जुड़वा गिरी	निष्कर्षित तेल का अम्लमान (ओलेक अम्ल के रूप में)	अम्ल अघुलनशील राख	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
विशेष	5.0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.4		49.0
मानक	5.5	0.25	1.0	2.0	2.5	2.5	2.5	3.0	4.0	0.6	0.1	47.0
सामान्य	6.0				4.0	4.0	5.0	7.0	9.0	1.25		45.0
		सहनीयता की अधिकतम सीमा:10.0										

ओडीबी का आशय: शुष्क भार आधार पर

स्पष्टीकरण –

(क) धब्बेदार और रंगहीन गिरी का मतलब है जो अत्यधिक गर्मी/धूप से झुलसने, यांत्रिक चोट के निशान के कारण क्षतिग्रस्त जिससे गिरी के स्वाद, रंग, रूप या खाने की क्षमता प्रभावित होती है।

(ख) "ब्राउन स्पॉट" का अर्थ है बादाम की गिरी पर थोड़े विनीत भूरे धब्बे, जो एंडोस्पर्म को प्रभावित करते हैं या नहीं, या तो सिंगल या मल्टीपल, जो बॉक्स एल्डर बग (*लेप्टोकोरिस त्रिविटाइट्टुस से०)* के रूप में कीड़ों के डंक के कारण होता है, जो कुल मिलाकर व्यास में 3 मिमी क्षेत्र को कवर करे; और धब्बे और मलीनीकरण स्पष्ट और फैले हुए दाग, गोंद और भूरे रंग के धब्बे के अलावा, या गंभीर गहरे या काले रंग का मलीनीकरण, जो गिरी की त्वचा के प्राकृतिक रंग के विपरीत होती है, जो बादाम की गिरी की सतह के एक चौथाई से अधिक हिस्से को प्रभावित करती है; इसे एक लॉट की गिरी के बीच सामान्य रंग भिन्नता का दोष नहीं माना जाये।

(ग) चटकी हुई बादाम की गिरी से आशय है मशीनों के कारण टूटी हुई ऐसी बादाम की गिरी जिसका एक चौथाई से अधिक टूटा हुआ भाग गायब है; व्यास में 3 मिमी के एक चक्र के समकक्ष से कम भाग की कमी को दोष के रूप में नहीं माना जाएगा।

(घ) जुड़वा गिरी से आशय एक ही आवरण में दो गिरियां विकसित होना है, गिरी का एक हिस्सा समतल या अवतल हो सकती है।

(ङ) चिपचिपा का अर्थ है राल जैसा दिखने वाला पदार्थ, जो 6 मिमी व्यास के एक चक्र के बराबर से अधिक क्षेत्र को कवर करने वाले एंडोस्पर्म को प्रभावित करता है या नहीं ।

(च) खुदरी हुई बादाम की गिरी से आशय है ऐसी बादाम की गिरी जिसके छिलके का एक भाग ऊपर से मशीनों के कारण हट गया हो, जिसका अंतर्बीज इस प्रक्रिया के कारण प्रभावित हुआ हो या नहीं; 3 मिमी व्यास के चक्र के समकक्ष कुल मिलाकर, छिलके के हटे होने पर दोष के रूप में नहीं माना जाएगा।

(छ) सिकुड़ी या मुरझाई हुई असमान गिरी से आशय जो अत्यंत सपाट और झुर्रीदार, या बादाम की गिरी जिसमें सूखे, सूखे या सख्त भाग होते हैं जब प्रभावित भाग गिरी के एक चौथाई से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।

(ज) विभाजित व खंडित से आशय गिरी का एक तिहाई से अधिक भाग न होना है।

4. **अन्य अपेक्षाएः** (i) बादाम (गिरी) की स्थिति ऐसी होगी कि वह -

(क) यातायात और हैंडलिंग की स्थिति का सामना कर सके;

(ख) जिसे अपने गंतव्य स्थान पर संतोषजनक ढंग से पहुंचाया जा सके ।

(ii) बादाम (गिरी) का भंडारण ठंडे एवं शुष्क स्थान पर और साफ एवं स्वास्थ्यपरक दशा में किया जाएगा।

[फा. सं. क्यू-11047/06/आलमंड/2019- मानक)

डॉ. विजया लक्ष्मी नादेंदला, संयुक्त सचिव (विपणन)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2022

G.S.R. 538(E).—Whereas, the draft of the Almond (kernel) Grading and Marking Rules, 2022, was published under sub-section (1) of section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act (1 of 1937) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.217 (E), dated the 22nd March, 2022, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty-five days from the date on which copies of the said notification published in the Gazette of India, were made available to the public;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on 22nd March, 2022, and whereas, the objections and suggestions received from the stakeholders in respect of the said draft rules have been duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title, application and commencement. -** (1) These rules may be called the Almond (kernel) Grading and Marking Rules, 2022.

   (2) They shall apply to Almond (kernel) obtained from *Prunus amygdalus Batsch. syn. Prunus dulcis (Mill.)D.A. Webb* intended for human consumption.

   (3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **Definitions. -** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

   (b) "authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorisation to grade and mark the Almond (kernel) in accordance with the grade standards and procedure provided under these rules and the General Grading and Marking Rules, 1988;

   (c) "Certificate of Authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988, authorising a person or a body of person to grade and mark Almond (kernel) with the Grade Designation Mark;

   (d) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);

   (e) "Grade Designation Mark" means "AGMARK Insignia" referred to in rule 3;

   (f) "Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules" means the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, made under the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010); and

   (g) "Schedule'' means a Schedule appended to these rules.

   (2) The words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 or the General Grading and Marking Rules, 1988, shall have the same meaning as are assigned to them under the said Act or the Rules.

3. **Grade Designation Mark.-**The Grade Designation Mark shall consist of the design of "AGMARK Insignia" as set out in Schedule-I, incorporating the certificate of authorisation number, the word "AGMARK", the name of commodity and its grade.

4. **Grade designations.-** The grade designations to indicate the quality of Almond (kernel) including the criteria for grade designation shall be as set out in Schedule-II.

5. **Quality. -** For the purpose of these rules, the quality of Almond (kernel) shall be as provided in Schedule- II.

6. **Method of packing. -**(1) The Almond (kernel) shall be packed in new clean paper bags or cloth bags or dry jute bags or poly woven bags with inner lining of food grade material or new glass jar or any bio-degradable packaging materials or poly packs of food grade material or any other packaging material as approved by the Agricultural Marketing Adviser or the officer authorised by him under rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988.

(2) The packaging material shall be free from insect and fungal infestation and should not impart any toxic substance or undesirable odour or flavor to the product.

(3) The Almond (kernel) shall be packed in pack sizes either in accordance with the provisions of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 or as allowed by the Agricultural Marketing Adviser under rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988.

(4) The graded material of small pack sizes of the same lot or batch and grade may be packed in a master container with complete details thereon along with Grade Designation Mark.

(5) Each package shall contain Almond (kernel) of the same type and of the same grade designation.

(6) Each package shall be properly and securely closed and sealed so as to disallow spilling.

7. **Method of Marking. -**(1) The Grade Designation Mark shall be securely affixed to or printed on each package in the manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or the officer authorised by him under rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988.

(2) In addition to the Grade Designation Mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package, namely. –

(a) name of the commodity;

(b) grade;

(c) variety or trade name (optional);

(d) lot /batch number;

(e) date of packing;

(f) crop year (optional);

(g) net weight;

(h) name and address of the authorized packer;

(i) maximum retail price (inclusive of all taxes);

(j) BEST BEFORE__________MONTH______YEAR; and

(k) any other particulars as provided under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 or specified under the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 and the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 or any notification issued under any other law for the time being in force or any instructions issued under provisions of the Act:

Provided that the ink used for marking on packages shall not contaminate the Almond (kernel).

(3) The authorised packer may after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him under rule 11 of General Grading and Marking Rules, 1988, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided the same do not indicate quality other than that indicated by the Grade Designation Mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

8. **Special conditions of Certificate of Authorisation. -**(1) In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988, every authorised packer shall comply the conditions specified under these rules.

(2) The authorised packer shall either set up his own laboratory as per norms issued under rule 8 of the General Grading and Marking Rules, 1988, or have access to an approved State Grading Laboratory or cooperative or association laboratory or a private commercial laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or the officer authorised by him under rule 9 of the General Grading and Marking Rules, 1988, for testing the quality of Almond (kernel).

(3) The premises of authorised packer shall be maintained in hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement and the personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.

(4) The premises of the authorised packer shall have adequate storage facilities with pucca floor and free from dampness, any kind of cracks and crevices, rodent and insect infestation.

(5) The authorised packer and the approved chemist shall observe all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with the General Grading and Marking Rules, 1988 from time to time.

SCHEDULE-I

(See rule 3)

(Design of AGMARK Insignia)

Name of the Commodity………………………

Grade……………………………………………

SCHEDULE–II

(See rules 4 and 5)

Grade Designation and Quality of Almond (kernel)

1. Almond (kernel) shall be obtained by drying sound, mature, clean fruits of *Prunus amygdalus Batsch. syn. Prunus dulcis (Mill.)D.A. Webb* varieties.
2. Minimum requirements:

   (i) Almond (kernel) shall.-

   (a) be sound, whole, sufficiently dried and properly cleaned;

   (b) have uniform colour and achieved appropriate stage of maturity;

   (c) have pleasant taste and flavour characteristics to the variety;

   (d) be free from visible mould growth, rodent contamination;

   (e) be free from foreign matter, particles, dust, soil, extraneous vegetable matter, living insects, dead insects, insect fragments, insect eggs, mites, rodent contamination;

   (f) be free from any added coloring matter;

(g) be free from off-odor, evidences of fermentation, mustiness and rancidity;

(ii) for domestic trade, it shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides residue, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and other regulations made for domestic trade under Food Safety and Standards Act, 2006(34 of 2006).

(iii) for export trade, it shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission or importing countries requirement for exports.

3. Criteria for Grade Designation of Almond (kernel):

TABLE

<table>
<tr><th rowspan="2">Grade Designation</th><th colspan="11">Maximum limit of tolerance (Percent by mass)</th><th rowspan="2">Oil Content % by weight ODB

(Minimum)</th></tr>
<tr><th>Moisture</th><th>In shell almonds, shell or skin fragments</th><th>Rancid, rotten and damaged by insects or other pests</th><th>Gummy and brown spot</th><th>Blemished & Discoloured Kernels</th><th>Shrunken or shriveled, Dissimilar kernels</th><th>Spilt, Broken & halves Kernels</th><th>Chipped & ScratchedKernels</th><th>Double & twin Kernel</th><th>Acid Value of Extracted Oil, as oleic acid</th><th>Acid insoluble Ash %</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td><td>(8)</td><td>(9)</td><td>(10)</td><td>(11)</td><td>(12)</td><td>(13)</td></tr>
<tr><td>Special</td><td>5.0</td><td>Nil</td><td>Nil</td><td>Nil</td><td>Nil</td><td>Nil</td><td>Nil</td><td>Nil</td><td>Nil</td><td>0.4</td><td rowspan="4">0.1</td><td>49.0</td></tr>
<tr><td>Standard</td><td>5.5</td><td rowspan="2">0.25</td><td rowspan="2">1.0</td><td rowspan="2">2.0</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>3.0</td><td>4.0</td><td>0.6</td><td>47.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">General</td><td rowspan="2">6.0</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td rowspan="2">5.0</td><td rowspan="2">7.0</td><td rowspan="2">9.0</td><td rowspan="2">1.25</td><td rowspan="2">45.0</td></tr>
<tr><td colspan="5">Total tolerance: Not more than 10.0</td></tr>
</table>

ODB means on dry weight basis.

Explanations: For the purpose of this Table, the expressions,-

(a) Blemishes and discolored means damage caused by excessive heat/ sunburn, scars, mechanical injury that affects the flavor, color, appearance or edibility of the kernel.

(b) "brown spot" means slightly depressed brown spots on the almond kernel, affecting or not the endosperm, either single or multiple, caused by the sting of insects as the box elder bug (*Leptocoris trivittatus Say.*), covering in aggregate an area more than the equivalent of a circle of 3 mm in diameter; and blemish and discoloration apparent and spread stains, other than gum and brown spot, or severe dark or black discoloration contrasting with the natural colour of the kernel skin, affecting in aggregate more than one quarter of the surface of the almond kernel; it is not considered as a defect the normal colour variations between the kernels of one lot.

(c) Chipped kernel means mechanically damaged almond kernel from which less than one quarter of the kernel is missing; it is not considered as a defect the loss, in aggregate, of less than the equivalent of a circle of 3 mm in diameter.

(d) Double kernel means two kernels developing in one shell, one side of a kernel is flat or concave.

(e) "gummy" means resinous appearing substance, affecting or not the endosperm covering in aggregate an area more than the equivalent of a circle of 6 mm in diameter.

(f) Scratched kernel means superficially mechanically damaged almond (kernel) with absence of part of the skin, affecting or not the endosperm; it is not considered as a defect, lack of skin or scratched area of less, in aggregate, than the equivalent of a circle of 3 mm in diameter.

(g) Shrunken or shriveled dissimilar kernels means extremely flat and wrinkled, or almond (kernel) with desiccated, dried out or tough portions when the affected portion represents more than one quarter of the kernel.

(h) Split and broken means almonds with more than one-third missing portion.

4. Other requirements:-

(i) The condition of the Almond (kernel) shall be so as to enable it to –

(a) withstand transport and handling; and

(b) arrive in satisfactory condition at the place of destination.

(ii) Almond (kernel) shall be stored in cool, dry place and properly maintained in a clean and hygienic condition.

[F. No. Q-11047/06/Almond/2019-Std.]

Dr. VIJAYA LAKSHMI NADENDLA, Jt. Secy. (Marketing)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM